The Uttaranchal Tourism Development Board Act, 2001

Act 12 of 2001

Keyword(s):
Tourism Enterprises

Amendment appended: 9 of 2004

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–131

पंजीकृत संख्या–डी0एन0/आर0ओ0–181/2001

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 28 नवम्बर, 2001 ई0

अग्रहायण 07, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 12/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 28 नवम्बर, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001 को दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2001 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, 2001)

प्रारम्भिक

"उत्तरांचल में नियमित रूप से पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने हेतु अधिनियम"

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया गया है :–

अध्याय–1

1 (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम/विस्तार तथा प्रारम्भ

1 (2) यह अधिनियम ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा एतदर्थ नियत करे।

1 (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

परिभाषायें

2 इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

2 (1) 'परिषद्' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् से है।

2 (2) 'आय–व्ययक' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद् की आगणित प्राप्तियों व व्यय से है।

2 (3) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है।

2 (4) 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य परिषद् के उपाध्यक्ष से है।

2 (5) 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' का तात्पर्य परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है तथा 'अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी' का तात्पर्य परिषद् के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है।

2 (6) 'वित्तीय वर्ष' का तात्पर्य अप्रैल के पहले दिवस से शुरू होने वाले 12 महीनों की अवधि से है।

2 (7) 'कोष' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत उद्ग्रहीत पर्यटन कोष से है।

2 (8) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है।

2 (9) 'पर्यटन व्यवसाय' का तात्पर्य निम्नलिखित में से समस्त अथवा किसी एक कार्य से है :–

2.9 (क) कोई भी व्यवसाय जिसके द्वारा राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन सुविधायें यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हों;

2.9 (ख) कोई भी व्यवसाय जिसके द्वारा पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से उत्तरांचल में आने वाले पर्यटकों को परिवहन, आवासीय तथा भ्रमण या गाइड जैसी सुविधायें प्रदान की जा रही हों;

2.9 (ग) कोई भी व्यवसाय जिसके द्वारा पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से पर्यटन सम्बन्धी उत्पादों का व्यापार एवं वाणिज्यिक कार्य अन्तर्निहित हो यथा उत्तरांचल में बनने वाला हस्तशिल्प, सोविनियर सामग्री आदि;

2.9 (घ) कोई भी अन्य अनुबन्ध समारोह, रेस्टोरेन्ट, मनोरंजन पार्क, रज्जूमार्ग, प्रदर्शनी, मेले, प्रचार अभियान या थीम पार्क आदि जिसके द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पर्यटकों को लाभ मिले या उत्तरांचल में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

परिषद् का गठन, समावेश तथा संरचना

3 (1) उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् का गठन किया जायेगा जो कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् कहलायेगी।

3 (2) परिषद् का कार्यालय राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लिखित स्थान पर अवस्थित होगा।

3 (3) इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत यह परिषद् एक निरन्तर चलने वाले संगठन के रूप में कार्य करेगी तथा उसकी शक्तियों सहित सर्व मुद्रा होगी :

3.3 (क) चल–अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने एवं बेचने का अधिकार होगा;

3.3 (ख) किसी भी प्रकार का अभियोग परिषद् के नाम अथवा परिषद् द्वारा ही चलाया जायेगा;

3.3 (ग) ऐसे अन्य नियमों का क्रियान्वयन जो कि संगठन द्वारा कानूनी तौर पर समय–समय में किये जायेंगे।

3 (4) परिषद् की संरचना निम्नवत् होगी :–

3.4 (क) पर्यटन मंत्री, उत्तरांचल शासन	पदेन अध्यक्ष
3.4 (ख) मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन	पदेन उपाध्यक्ष
3.4 (ग) सचिव पर्यटन, उत्तरांचल शासन	पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.4 (घ) सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य–सचिव

3.4 (ङ) सचिव वित्त, वन, ऊर्जा, लो0नि0वि0, परिवहन एवं नियोजन — पदेन सदस्य

3.4 (च) राज्य सरकार द्वारा नामित 5 गैर सरकारी सदस्य जो कि पर्यटन व्यवसाय एवं उद्योग में विशेष योग्यता रखते हों — सदस्य

सदस्य अयोग्य घोषित करना

4 कोई भी व्यक्ति परिषद् का सदस्य नहीं हो सकता है यदि वह :–

4 (1) राज्य सरकार की राय में किसी नैतिक अक्षमता के आरोप में दोषी पाया जाता है;

4 (2) दिवालिया घोषित किया गया हो;

4 (3) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया हो;

4 (4) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के द्वारा या किसी साझेदार, नियोक्ता, कर्मचारी के माध्यम से किसी ठेके या व्यवसाय में कोई हिस्सेदारी या वित्तीय सहभागिता न हो जिसके साथ परिषद् का सम्बन्ध हो;

4 (5) उत्तरांचल राज्य के अधीन किसी भी कम्पनी व्यवसाय या समिति में निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या किसी अन्य पद पर हो जिसका परिषद् के साथ कोई व्यवसायिक सम्बन्ध है।

स्पष्टीकरण–किसी भी व्यक्ति का जो कि किसी ऐसी कम्पनी या व्यवसाय का अंशभागी जिसका परिषद् के साथ कोई व्यवसायिक सम्बन्ध है, को केवल इसी कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

गैर सरकारी सदस्य एवं निजी क्षेत्र के निदेशकों का कार्यकाल

5 (1) किसी भी गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा बशर्ते कि उसका कार्यकाल उत्तरांचल शासन द्वारा अधिसूचना के द्वारा गजट के माध्यम से पूर्व में ही समाप्त न कर दिया गया हो।

5 (2) गैर सरकारी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत कर सकता है तथा त्याग–पत्र स्वीकृति की दशा में उनकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

गैर सरकारी सदस्य एवं निजी क्षेत्र के निदेशकों के लिये पारिश्रमिक एवं भत्ते आदि

6 (1) गैर सरकारी सदस्यों को परिषद् की गतिविधियों में भाग लेने पर परिषद् द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक एवं भत्ते देय होंगे।

अध्याय–2

परिषद् के अधिकार एवं कार्य

परिषद् के कार्य

7 (1) परिषद् के कार्य निम्नवत् होंगे :–

7.1 (1) उत्तरांचल में पर्यटन के विकास हेतु नीतियां/रणनीतियां तैयार करना।

7.1 (2) पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं को राज्य में विकसित एवं सुदृढ़ करने जिसमें पर्यटन विकास क्षेत्र का गठन सम्मिलित है, हेतु दिशा–निर्देश एवं योजना तैयार करना।

7.1 (3) पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों का चिन्हीकरण, परियोजनाओं का विकास एवं उनको समयबद्ध रूप से लागू करने के सम्बन्ध में योजनायें तैयार करना।

7.1 (4) पर्यटन गतिविधियों हेतु विभिन्न नियम मानक व नीतिगत दिशा निर्देश निर्धारित करना।

7.1 (5) पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु योजना तैयार करना।

7 (2) (क) परिषद् उत्तरांचल में आने वाले पर्यटकों हेतु सुविधाओं का सृजन तथा सुधार करेगी एवं उत्तरांचल को वैश्विक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगी।

7.2 (ख) पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न व्यवसायों एवं गतिविधियों हेतु नियामक एवं अनुज्ञा प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी।

7.2 (ग) उत्तरांचल में पर्यटकों को आकर्षित तथा उत्तरांचल एवं बाहर पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु परिषद् द्वारा देश एवं विदेश में इसके प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास किया जायेगा।

7 (3) परिषद् पृथक–पृथक समितियों का गठन करेगी जिसमें विषय विशेषज्ञ होंगे जो कि उपलब्ध संसाधनों का आंकलन, विकास योजनाओं को तैयार करेंगे और पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों हेतु गुणवत्ता सुरक्षा एवं अन्य मानकों का निर्धारण भी करेंगे। ऐसी समितियों के गठन हेतु परिषद् द्वारा शर्तों निर्धारित की जायेंगी।

7 (4) परिषद् पर्यटन परियोजनाओं नियोजन, कार्यान्वयन एवं परीक्षण हेतु विशेषज्ञों एवं कन्सलटैन्ट परामर्शदाताओं ऐजेन्सियों की सेवायें प्राप्त कर सकती है।

7 (5) उत्तरांचल के समस्त धार्मिक पर्यटक स्थलों यथा श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के उच्च स्तरीय संचालन हेतु परिषद् मार्ग निर्देश गठित करेगी तथा नीति विषयक मामलों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

7 (6) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य पर्यटन गतिविधि को संचालित करना।

परिषद् की शक्तियां

8 (1) इस अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् एक नियामक एवं अनुज्ञा प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी।

8 (2) इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित परिषद् ऐसी गतिविधियां जो कि परिषद् के कार्य को सम्पादित करने में लाभकारी, आवश्यक अथवा सुगम हों, का प्रयोग किया जायेगा और परिषद् द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है :–

8.2 (क) पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायों हेतु नियमों एवं मानकों का गठन पालन करना;

8.2 (ख) पर्यटन से सम्बन्धित व्यवसायों तथा संस्थाओं का पंजीकरण, अनुज्ञा–पत्र, मान्यता प्रमाण–पत्र जारी किये जायेंगे और उनसे इस प्रकार के कार्य की अनुज्ञा हेतु जो शुल्क इत्यादि प्राप्त किये जायेंगे उनके लिये शर्तें तैयार करना;

8.2 (ग) कोई भी चल एवं अचल सम्पत्तियां जो परिषद् की हैं उसको परिषद् उपयुक्तता के आधार पर क्रय करना, रोकना, बन्धक रखना, किसी के नाम स्थानान्तरित करना, प्रयोग हेतु अधिकृत करना, अभिलेख जमा करना, मृत्यु उपरान्त स्वामित्व नामांकन करना, निस्तारण करना इत्यादि परिषद् हित में कर सकती है;

8.2 (घ) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिषद् किसी के साथ अनुबन्ध अथवा समझौता कर सकती है;

8.2 (ङ) परिषद् किसी भी सेवा के बदले शुल्क अथवा भुगतान जो परिषद् तय करेगी, को प्राप्त कर सकती है;

8.2 (च) परिषद् अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग जो उसको प्रदत्त हैं एवं जो नियमतः परिषद् हित में हैं या जो शासन द्वारा परिषद् को प्रदान किये गये हैं उन समस्त शक्तियों का प्रयोग कर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी;

8.2 (छ) परिषद् के चिन्ह का निर्धारण करना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

9 (1) परिषद् का समस्त कार्य इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

9 (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

9 (3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी :–

9.3 (क) परिषद् के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय कार्य का सम्पादन करेगा;

9.3 (ख) परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

9 (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अस्थाई रूप से अनुपस्थित अथवा अस्थाई रूप से बीमार रहने या अन्य कारण से अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की दशा में परिषद् अथवा शासन द्वारा ऐसे दिवसों में कार्य हेतु किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

10 (1) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सदस्य–सचिव) की नियुक्ति उत्तरांचल शासन द्वारा की जायेगी।

10 (2) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सदस्य–सचिव) परिषद् के सदस्य सचिव भी होंगे।

अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति

11 (1) परिषद् समय–समय पर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निहित सेवा शर्तों के अनुरूप आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी।

11 (2) वर्तमान में पर्यटन विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी सेवायें पर्यटन परिषद् में संविलीन होंगी वे यथावत सरकारी सेवक बने रहेंगे तथा राजकीय सेवा नियमावली के अनुरूप कार्यरत रहेंगे उनको शासन द्वारा समय–समय पर सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले समस्त लाभ तथा सेवा निवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवकों को मिलने वाले लाभ यथा पेंशन, ग्रेज्यूटी, अवकाश नकदीकरण इत्यादि शासन द्वारा वहन किये जाते रहेंगे।

11 (3) परिषद् को अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर अन्य सरकारी विभागों/निगमों/संस्थानों व अन्य अधिष्ठानों से नियुक्ति का अधिकार होगा।

समितियों की नियुक्ति तथा शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

12 (1) परिषद् समय–समय पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद् द्वारा गठित समिति को इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त अधिकार/कर्तव्य व शक्तियों के प्रयोग हेतु शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुये परिषद् की तरफ से प्रयोग करने हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इस प्रकार की गठित समिति को अधिकृत कर सकती है (जैसी स्थिति हो)।

12 (2) इस अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुये यदि कोई अधिकार अथवा कर्तव्य या शक्ति किसी को परिषद् प्रदान करती है और यदि परिषद् शक्तियों के विकेन्द्रीकरण को उचित न मानते हुये वापस नहीं ले सकती है।

परिषद् की आय–व्ययक व्यवस्था

13 (1) परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष आगणित प्राप्तियों एवं व्यय का एक वित्तीय प्रपत्र उस वर्ष के लिये तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। परिषद् अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में भी प्रपत्र शासन को यथा समय प्रस्तुत करेगी।

13 (2) वार्षिक आय–व्ययक विवरण व अनुपूरक मांगों को नियमानुसार तैयार कर निर्धारित समय सीमा में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

13 (3) (क) राज्य सरकार वार्षिक आय–व्ययक अथवा नियमानुसार अनुपूरक मांगों को सम्पूर्ण रूप से अथवा संशोधित जो भी उपयुक्त हो, पर अनुमोदन प्रदान करेगी।

13.3 (ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक आय–व्ययक अथवा अनुपूरक मांगों को परिषद् उस वर्ष का वार्षिक आय–व्ययक अथवा अनुपूरक मांगों के रूप में उपयोग करेगी।

13 (4) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिषद् को अधिनियम के अन्तर्गत वहन हेतु धनराशि जो उस वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यक होगी, को अनुदान, ऋण इत्यादि के रूप में देगी।

13 (5) राज्य सरकार द्वारा जारी सामान्य एवं विशेष दिशा–निर्देशों के अनुपालन में परिषद् वार्षिक आय–व्ययक प्रपत्र तथा अनुपूरक वित्तीय प्रपत्र के अनुरूप स्वीकृतियों का पुनर्विनियोग एक लेखा शीर्षक से दूसरे लेखा शीर्षक में हस्तान्तरित किया जा सकता है।

पर्यटन कोष की स्थापना एवं प्रशासन

14 (1) परिषद् एक कोष की स्थापना करेगी जिसका नाम 'पर्यटन कोष' होगा जिसका नियंत्रण एवं प्रशासन परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

14 (2) समस्त धनराशि जो भी परिषद् को अथवा परिषद् के नाम पर प्राप्त होगी, को पर्यटन कोष में जमा किया जायेगा।

14 (3) परिषद्, अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर पर्यटन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों से आवश्यकतानुसार ऋण, अनुदान, चन्दा, दान, उपहार आदि, शुल्क, कर, उपकर इत्यादि प्राप्त करेगा।

14 (4) कोष निम्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग में लाया जायेगा :-

14.4(1) परिषद् के प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति हेतु;

14.4(2) अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले समस्त व्यय।

लेखा एवं सम्परीक्षा

15 (1) परिषद् अपने लेखा सम्बन्धी समस्त पुस्तकों एवं अभिलेखों जो परिषद् के कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक है, का उपयोग एवं रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत करेगी, जैसा कि शासकीय गजट में अधिसूचित किया गया हो।

15 (2) परिषद् प्रतिवर्ष वार्षिक लेखाबन्दी पर एक वार्षिक लेखा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार तैयार करेगी और उनका वार्षिक सम्प्रेक्षण करायेगी।

15 (3) परिषद् की सम्परीक्षा महालेखाकार, उत्तरांचल अथवा उनके स्थान पर उनके द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

15 (4) परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक सम्परीक्षा आख्या तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

वार्षिक आख्या

16 (1) प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जैसा सम्भव होगा, परन्तु 30 सितम्बर के पूर्व ही एक वार्षिक लेखा आख्या व सम्परीक्षा आख्या उस वित्तीय वर्ष की राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

16 (2) शासन जैसे ही सम्भव होगा, उक्त आख्या को विधान सभा में सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-3

विविध-प्राविधान

अभियोग एवं न्यायिक कार्यवाही

17 (1) अध्यक्ष परिषद के नियंत्रण के अधीन परिषद् की तरफ से निम्नांकित कार्य कर सकता है :-

17.1 (1) वह परिषद् की तरफ से न्यायिक कार्यवाही कर सकता है, किसी को दोषमुक्त कर सकता है, किसी के विरुद्ध चल रही न्यायिक कार्यवाही को वापस ले सकता है;

17.1 (2) वह किसी भी दावे को स्वीकार कर सकता है, किसी के साथ समझौता कर सकता है अथवा किसी दावे को वापस भी कर सकता है।

17 (2) कोई भी अभियोग मुकदमा किसी भी रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्याधिकारी या किसी सदस्य, परिषद् में कार्यरत अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से नहीं चलाया जा सकता है।

परिषद् के चिन्ह का प्रयोग

18 (1) कोई भी व्यक्ति जो परिषद् के बिना अनुमति के परिषद् के प्रतीक का प्रयोग करता है अथवा परिषद् के प्रतीक से लगभग मिलते-जुलते प्रतीक का प्रयोग करता है जिससे किसी भी तरह का भ्रम पैदा होने की सम्भावना हो, एक दण्डनीय अपराध माना जायेगा और रु0 50,000/-(रु0 पचास हजार मात्र) तक अधिकतम दण्ड उससे वसूल किया जा सकता है। इसके पश्चात् भी यदि लगातार उक्त की पुनरावृत्ति होती है तो पुनः अधिकतम रु0 1,000/- (रु0 एक हजार मात्र) तक प्रतिदिन के दर से जिस दिन से प्रथम बार उक्त अपराध किया गया है, गिनते हुये दण्ड लगाया जा सकता है।

कार्य प्रणाली

19 (1) परिषद् अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से प्राप्त किसी शिकायत अथवा सूचना प्राप्त होने पर ही कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

19 (2) इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यून न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

नियम एवं व्यवस्था

20 (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार परिषद् के सुसंचालन हेतु नियम विहित कर सकेगी।

20 (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन परिषद् के सुसंचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये नियमों के क्रम में परिषद् विनियमन बना सकती है।

20 (3) सर्वसाधारण को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप धारा (1) में निम्न विनियमन उपबन्धित किये जा सकते हैं :–

20.3 (1) परिषद् की बैठकें आयोजित करने, बैठकों में व्यवहृत की जाने वाली प्रक्रिया विहित करने तथा समय–समय पर बैठकें आयोजित करने सम्बन्धी ;

20.3 (2) नियुक्ति अथवा परिषद् के सदस्यों में से समितियों की स्थापना तथा परिषद् के सदस्यों से अतर व्यक्तियों से ऐसी समितियां सहयोजित करना ;

20.3 (3) परिषद् की ओर से अभिलेखों, चेकों एवं किसी प्रकार के लिखतों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करना अथवा निष्पादन करना।

परिषद् का विघटन

21 (1) यदि राज्य सरकार की राय में परिषद् इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने उद्देश्यों को संचालित करने में विफल हो गई है अथवा किसी भी अन्य कारण से परिषद् को आगे चलाना आवश्यक नहीं है, ऐसी दशा में गजट में अधिसूचना के माध्यम से परिषद् के विघटन की अधिसूचना जारी की जा सकती है तथा अधिसूचना में उल्लिखित तिथि से परिषद् का विघटन माना जायेगा।

21 (2) उक्त अधिसूचना की धारा 21 (1) द्वारा परिषद् के विघटन के प्रकाशन के संदर्भ में :–

21.2 (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं परिषद् के सभी सदस्य परिषद् के विघटन की तिथि से अपना पदभार छोड़ देंगे;

21.2 (2) इस अधिनियम के अधीन परिषद् अथवा परिषद् के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयुक्त/पालन किये जाने वाली समस्त शक्तियां और कार्य परिषद् के विघटन की तिथि से राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रयुक्त/पालन किये जायेंगे कि उसके और अस्तित्वयुक्त संविदाओं, करारों तथा अन्य लिखत जिसमें परिषद् पक्षकार है अथवा जो परिषद् के पक्ष में है प्रवर्तनीय होगी अथवा क्रियान्वित होगी और समस्त पक्ष और विरुद्ध लम्बित वाद, अपीलें तथा समस्त विधिक कार्यवाहियां यथावत राज्य सरकार अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था, जैसा हो, के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी;

21.2 (3) परिषद् में निहित कोष एवं अन्य सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित मानी जायेंगी; और

21.2 (4) परिषद् के विरुद्ध प्रवर्तनीय विधिक अस्तित्वयुक्त समस्त दायित्व राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय माने जायेंगे।

21 (3) धारा 21 (1) अथवा 21 (2) में किसी बात के होते हुये राज्य सरकार किसी भी समय अधिनियम की धारा 3 के अधीन परिषद् की स्थापना कर सकती है, तब :–

21.3 (1) धारा 21.2 (2) में निहित अधिकार और कर्तव्यों के साथ ही साथ समस्त शक्तियां और कार्य संविदा, करार तथा अन्य लिखत और वाद अपीलें एवं अन्य विधिक कार्यवाहियां परिषद् में पुनः निहित हो जायेंगी।

21.3 (2) धारा 21.2 (3) में वर्णित कोष तथा अन्य सम्पत्तियां, राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले समस्त दायित्व धारा 21.2 (4) के अधीन पुनः परिषद् में निहित हो जायेंगे।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 पाण्डेय)
सचिव।

No. 12/Vidhayee and Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, November 28, 2001

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Tourism Development Board Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 12 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on November 28, 2001.

UTTARANCHAL TOURISM DEVELOPMENT BOARD ACT, 2001

[UTTARANCHAL ACT NO. 12 OF 2001]

(As passed by the Uttaranchal legislature)

PREAMBLE

"An Act to promote Tourism activities in the State of Uttaranchal in a regulated manner"

It is hereby enacted in the Fifty-second year of the Republic of India as follows :–

CHAPTER–I

Short title/extent/ commencement

1 (1) This Act may be called Uttaranchal Tourism Development Board Act, 2001.

1 (2) This Act shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Gazette appoint in that behalf.

1 (3) It extends to the whole of Uttaranchal.

Definitions

2 In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context otherwise requires :–

2 (1) 'Board' means the Uttaranchal Tourism Development Board established under Section 3 of this Act ;

2 (2) 'Budget' means a statement of the estimated receipts and expenditure of the Board in respect of each financial year as provided for in Section 13 of this Act ;

2 (3) 'Chairman' means the Chairman of the Board ;

2 (4) 'Vice Chairman' means the Vice Chairman of the Board ;

2 (5) 'Chief Executive Officer' means the Chief Executive Officer of the Board and 'Additional Chief Executive Officer' means the Additional Chief Executive Officer of the Board ;

2 (6) 'Financial Year' means a period of 12 months beginning on first of April ;

2 (7) 'Fund' means the Tourism Fund established under Section-14 of this Act ;

2 (8) 'State' means the State of Uttaranchal ;

2 (9) 'Tourism enterprises' means all or any of the following :–

2.9 (a) Any business which proivides national or international carriage for passengers ;

2.9 (b) Any business which, either wholly or in part, provides or arranges services for visitors in Uttaranchal by way of transport, accommodation, tours or guides, whether or not such services are provided within or outside Uttaranchal ;

2.9 (c) Any business which either wholly or in a part, distributes for the purpose of trade or retails tourism-related products such as handicrafts, souvenirs etc. made in the State of Uttaranchal ;

2.9 (d) Any other undertaking, including any convention centres, restaurants, amusement parks, ropeways, exhibitions, shows, fairs, publicity campaigns or theme parks etc., intended wholly or in part for the benefit of or for the purpose of attracting visitors to Uttaranchal.

Establishment, Incorporation and Constitution of the Board

3 (1) The Government of Uttaranchal shall, by notification in official gazette, establish a body in accordance with the provisions of this Act, which shall be called the Uttaranchal Tourism Development Board.

3 (2) The office of the Board shall be located at a place to be notified by the State Government in the official Gazette.

3 (3) The Board shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal with powers, subject to the provisions of this Act :

3.3 (a) to acquire and dispose of property both movable and immovable ;

3.3 (b) to sue and be sued in its name ;

3.3 (c) to perform such other acts as bodies corporate may by law perform.

3 (4) The Board shall consist of :–

Official Members :

3.4 (a) A Chairman who shall be the Minister of Tourism, Government of Uttaranchal, ex-officio;

3.4 (b) A Vice-chairman who shall be the Chief Secretary, Government of Uttaranchal, ex-officio;

3.4 (c) A Chief Executive Officer who shall also be ex-officio Secretary Tourism, Government of Uttaranchal;

3.4 (d) An Additional Chief Executive Officer appointed by the Government who shall be Member-Secretary of the Board;

3.4 (e) Secretary, Finance; Secretary, Forest; Secretary, P. W. D.; Secretary, Power; Secretary, Transport and Secretary, Planning shall be ex-officio members of the Board;

3.4 (f) Five non-official members having expertise and experience in fields related to the tourism trade and industry, to be appointed by the State Government.

Disqualification for being a Member

4 A person shall be disqualified for being appointed as a member of the Board if he or she :–

4 (1) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude;

4 (2) is an undischarged insolvent;

4 (3) is of unsound mind and has been so declared by a competent court;

4 (4) has directly, or indirectly, by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by or on behalf of the Board; or

4 (5) is a Director, a Secretay, a Manager, or other officer of any company, business establishment or other society in the State of Uttaranchal which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board.

Explanation–A person shall not be deemed to have any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board by reason only of his being a shareholder of a company, business establishment or other society which has such share or interest.

Term of office of non-official members & Directors from the Private sector

5 (1) A Non-official member of the Board shall hold office for a period of one year at a time, renewable, by the State Government.

5 (2) A Non-official member may at any time, in writing under his hand addressed to the State Government resign his office and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

Remuneration/ allowances etc. of the non-official members

6 (1) The non-official members of the Board shall be entitled to such allowance and remunerations for their participation in the activities of the Board as may be prescribed by the Board.

CHAPTER–II

FUNCTIONS AND POWERS OF THE BOARD

Functions of Board

7 (1) The functions of the Board will be as under :–

7.1 (1) Formulation of policies and strategies for development of tourism in Uttaranchal;

7.1 (2) Preparation of plans for developing and strengthening tourism related infrastructure in the State ensuring inter-departmental coordination;

7.1 (3) Preparation of plans for various tourism segments and activities, identification and development of projects and ensuring their timely implementation;

7.1 (4) Formulation of standards, norms and policy guidelines for various tourism related activities;

7.1 (5) Formulation of a strategy for mobilizing private sector participation and investment in the tourism sector; and

7 (2) (a) Engage in, assist and or promote the improvement of facilities for visitors to Uttaranchal and the development of Uttaranchal as a global tourist destination;

7.2 (b) Function as a regulatory and licensing Authority in respect of various tourism related enterprises and activities;

7.2 (c) Undertake to promote publicity and marketing of tourism, within India and abroad, with a view to attracting tourists to Uttaranchal, and to this end also organize, and participate in, tourism-related projects both within and outside Uttaranchal;

7 (3) The Board may appoint separate Committees, consisting of subject-specialists to study the existing resources, prepare development schemes and set quality, safety and other standards in different areas of tourism.

7 (4) The Board may requisition the services of specialist and consultancy agencies for planning, implementation and evaluation of tourism projects on such terms and conditions as it may deem appropriate.

7 (5) To carry out any other tourism related activities which may be considered necessary for the promotion and development of tourism in Uttaranchal.

7 (6) Implementation of any other tourism related activity as directed by State Government.

Powers of Board

8 (1) The Board shall function as a Regulatory and Licensing Authority, subject to the provisions of this Act.

8 (2) The Board may carry on such activities which may appear to the Board as advantageous, necessary or convenient in the discharge for its functions under this Act and in particular, the Board may exercise the following powers:-

8.2 (a) establish regulations and standards for different tourism-related-activities and enterprises;

8.2 (b) register, license, recognize, certify and provide accredition to tourism-related enterprises and institutions and to prescribe the conditions under which the same may be granted and the fees which may be levied for such registrations, licenses, recognition, certification and accredition;

8.2 (c) acquire, take on lease, hire, hold or enjoy movable and immovable property and to convey, assign, surrender, charge, mortgage, demise, transfer or otherwise, dispose of or deal with, any movable or immovable property belonging to the Board upon such terms as the Board considers fit;

8.2 (d) enter into any contracts or agreements for carrying out the purposes of this Act;

8.2 (e) receive, in consideration of the services rendered by the Board, such fees or payment as may be agreed upon;

8.2 (f) exercise all powers and perform all duties which under any other law, or may be vested in or delegated to the Board by the Government;

8.2 (g) determine the symbol of the Board.

Chief Executive Officer

9 (1) The Board shall carry out the purposes of the Act through its Chief Executive Officer.

9 (2) The Chief Executive Officer shall be appointed by Government of Uttaranchal.

9 (3) The Chief Executive Officer shall :—

9.3 (a) be responsible to the Board for the proper administration and management of the functons and affairs and the Board in accordance with the policy laid down by the Board/Government and act as the Head of the Department; and

9.3 (b) exercise such financial powers as may be decided by the Board.

9 (4) If the Chief Executive Officer is temporarily absent or temporarily incapacitated by reason of illness or for any other reason is temporarily unable to perform his duties, a person may be appointed by the Board/Government to act in the place of the Chief Executive Officer during such period of absence from duty.

Additional Chief Executive Officer (Member Secretary)

10 (1) The Additional Chief Executive Officer (Member Secretary) shall be appointed by Government of Uttaranchal.

10 (2) The Additional Chief Executive Officer shall also be Member Secretary of the Board.

Officers and Employees

11 (1) The Board may from time to time appoint and employ such officers and employees as may be necessary for the purposes of this Act on terms and conditions which may be prescribed by regulations made under this Act.

11 (2) The officers and employees working in Department of Tourism who shall be merged in the Tourism Board will be governed by the Government Servant Service Rules and their post retirement benefits *i.e.* pension, leave encashment, gratuity etc. shall be borne by the Government.

11 (3) The Board may also take services of officers/employees of other Government departments/Corporations/Institutes or other establishments on deputation basis.

Delegation of powers

12 (1) The Board may, from time to time impose, delegate to the Chairman, Vice Chairman, Chief Executive Officer or any Committee appointed by it, any of the functions, duties and powers vested in the Board by or under this Act and any power, function or duty so delegated may be exercised or performed by the Chairman, Vice Chairman, Chief Executive or such Committee, as the case may be, in the name and on behalf of the Board.

12 (2) Notwithstanding the delegation of any power, function or duty under this Section, the Board shall not cease to have such power conferred upon it under this Act.

Budget and Financles of the Board

13 (1) The Board shall in respect of each financial year prepare a statement of the estimated receipts and expenditure of the Board for that year, in the form of an annual financial statement. The Board may also prepare supplementary financial statements during the course of the financial year as may be necessary.

13 (2) The annual financial statement and supplementary financial statement prepared by the Board under this Section shall be submitted to the State Government by such time as may be prescribed by the State Government.

13 (3) (a) The State Government shall sanction the annual budget or supplementary demand wholly or in amended form as it may deem fit.

13.3 (b) The Board shall use the annual budget or supplementary demand sanctioned by the State Government in the year for which it has been sanctioned.

13 (4) The State Government shall from time to time provide to the Board for purposes of this Act such amounts as may be deemed necessary for each financial year by way of grants-in-aid, loans, etc.

13 (5) The Board may, within the limits of the annual financial statement or the supplementary financial statement sanction re-appropriation from one head of expenditure to another, subject to such general or specific guidelines as may be issued by the State Government.

Establishment and Administration of Tourism Fund

14 (1) The Board shall cause to be established a fund called "Tourism Fund" which shall be controlled and administered by the Board in such manner as may be prescribed by the State Government.

14 (2) All monies received by or in behalf of the Board shall be credited to the Tourism Fund.

14 (3) The Board may for purposes of the Act raise loans, accept grants, contributions, donations, subventions and gifts, and levy such charges and fees for tourism related activities as it consider necessary for the purpose of the Act.

14 (4) The Fund shall be devoted to the following purposes :–

14.4 (1) The payment of the expenses connected with the administration of the Board; and

14.4 (2) The payment of all expenses necessary for carrying out the purpose of this Act.

Accounts and Audit

15 (1) The Board shall cause to be maintained such books of accounts and other records in relation to its functions in such form and in such manner as may be prescribed by the State Government through notification in official Gazette.

15 (2) The Board shall, as soon as may be after the closing of its annual accounts, prepare an annual statement of accounts in such form and in such manner as may be prescribed by the State Government and these accounts will be subject to an annual audit.

15 (3) The accounts of the Board shall be audited by the Accountant General, Uttaranchal or any officer authorized by him on his behalf.

15 (4) The Board shall in respect of every financial year cause to be prepared an Audit Report which shall be submitted by the Board to the State Government.

Annual report

16 (1) The Board shall, as soon as practicable, after the close of each financial year, but not later than 30th September of each year prepare an Annual Report of its activities and submit it to the Government alongwith the audit report for the said financial year.

16 (2) The Government, shall, as soon as practicable, lay the reports before the Legislative Assembly of Uttaranchal.

CHAPTER–III

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Suits and legal proceedings

17 (1) The Chairman or the Chief Executive Officer may, on behalf of the Board and subject to its directions :–

17.1 (1) Institute, defend, or withdraw from any legal proceedings; and

17.1 (2) Admit, compromise or withdraw any claim.

17 (2) No suit shall be instituted against the Chairman, the Vice Chairman, the Chief Executive Officer or any member, officer or employee of the Board in his personal capacity in respect of any act done or purported or intended to have been done under this Act.

18 (1) Any person who without the permission of the Board, uses the symbol of the Board, or any representation so nearly resembling the symbol of the Board, as to cause confusion in relation to it, will be liable to suspension/cancellation of license and/or shall be punishable with fine which may extend to Rs. Fifty thousand and in case of continuing offence with further fine which may extend to Rs. One thousand for everyday during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence. — Use of symbol of the Board

19 (1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on the complaint of, or upon information received from, the Board or any officer of the Board duly authorized in this behalf. — Procedure

19 (2) No court inferior to that of a magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

20 (1) The State Government shall make rules for carrying out the provisions of this Act. — Rules and Regulations

20 (2) The Board may make regulations with respect to the rules made by the State Government and for carrying out the provisions of this Act.

20 (3) Without prejudice to the generality of sub-section (1) such regulation may provide for :–

20.3(1) The convening of meetings of the Board, the procedure to be followed at the meetings and the periodicity of these meetings;

20.3(2) The appointment or establishment of Committees from members of the Board and the co-opting of persons other than members of the Board to such Committees; and

20.3(3) The manner in which documents, cheques and instruments of any description shall be signed or executed on behalf of the Board.

21 (1) If the State Government is of opinion that the Board has failed to carry out the functions under this Act, or that for any other reason it is not necessary to continue the Board, it may, by notification in the Gazette, dissolve the Board from such date as may be specified in the notification. — Dissolution of the Board

21 (2) Upon the publication of a notification under section 21 (1) dissolving the Board;

21.2(1) The Chairman, the Vice Chairman and all members of the Board shall, as from the date of dissolution, vacate their offices;

21.2(2) All the powers and functions which may, by or under this Act, be exercised and performed by or on behalf of the Board shall, as from the date of dissolution, be exercised and performed, subject to the control of the State Government by such person or institution as it may specify in that behalf and all subsisting contracts, agreements and other instruments to which the Board is a party or which are in favour of the Board may be enforced or acted upon, and all pending suits, appeals and other legal proceedings by or against, the Board may be continued, prosecuted or enforced by or against the State Government or such person or institution, as the case may be;

21.2(3) The fund of and other properties vested in the Board shall vest in the State Government; and

21.2(4) All liabilities, legally subsisting and enforceable against the Board, shall be enforceable against the State Government.

21 (3) Notwithstanding any thing contained in section 21(1) or section 21(2), the State Government may, at any time, again establish a board under section 3, thereupon:–

21.3(1) The powers and functions as well as the rights and liabilities in relation to contracts, agreements and other instruments and suits, appeals and other legal proceedings referred to in secion 21.2(2) shall re-vest in the Board;

21.3(2) The fund and other properties referred to in section 21.2(3) remaining with the State Government after meeting any liabilities referred to in section 21.2(4) thereof shall re-vest in the Board.

By Order,

(R. P. PANDEY)
Sachiv.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 45 विधायी/837–2001–500 (कम्प्यूटर/रिजियो)।

क्रम संख्या–105

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 अगस्त, 2004 ई0
श्रावण 14, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 213/विधायी एवं संसदीय कार्य/2004
देहरादून, 05 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 04–08–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 9, सन् 2004 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2004)

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के बाद उपधारा (10) एवं (11) का जोड़ा जाना

2. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के बाद निम्नवत् उपधारा (10) एवं (11) जोड़ दिये जायेंगे :–

(10) "महानिदेशक पर्यटन" का तात्पर्य तत्कालीन पर्यटन निदेशालय में तत्समय नियुक्त विभागाध्यक्ष से है।

(11) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य तत्कालीन पर्यटन निदेशालय के अधीन तत्समय कार्यरत सरकारी सेवकों से है।

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बाद "/पदेन महानिदेशक पर्यटन" शब्द बढ़ा दिए जायेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) (ख) में नया खण्ड (ग) का जोड़ा जाना

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड (ग) निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा :–

(ग) "पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पदेन महानिदेशक पर्यटन" पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत तत्समय सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निष्पादन हेतु महानिदेशक, पर्यटन, विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा।

मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा (2) प्रतिस्थापित कर दी जायेगी :–

(2) पर्यटन निदेशालय के अधीन तत्समय कार्यरत समस्त सरकारी सेवक यथावत् सरकारी सेवक बने रहेंगे तथा उनकी सेवायें लागू सेवा नियमावली के अनुरूप व्यवहृत होंगी, जिन्हें वेतन आदि का भुगतान अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों से कोषागारों द्वारा किया जायेगा तथा उनको शासन द्वारा समय–समय पर राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले समस्त लाभ तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त मिलने वाले लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, सामान्य बीमा योजना, अवकाश नकदीकरण इत्यादि शासन द्वारा वहन किये जाते रहेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के बाद एक नई उपधारा (4) का जोड़ा जाना

6. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के बाद निम्नवत् एक नई उपधारा (4) को जोड़ दिया जायेगा :–

(4) पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत समस्त राजकीय सेवकों से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् में संविलियन हेतु विकल्प दिये जाने का अवसर दिया जायेगा तथा जो परिषद् की सेवाओं में संविलीन नहीं होना चाहते हों, उनके लिए वर्तमान में उपलब्ध पदों के अनुरूप आवश्यकतानुसार अलग से प्रारूप तैयार किया जायेगा। सरकारी सेवकों के लिये परिषद् के पदों पर प्रतिनियुक्ति का विकल्प भी खुला रहेगा परन्तु प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के बाद एक नया वाक्य का जोड़ा जाना

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के बाद निम्न वाक्य जोड़ दिया जायेगा :– "एवं पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत पूर्व सरकारी सेवकों को वेतन आदि के नियमित भुगतान हेतु सरकार द्वारा सरकारी कोषागारों में प्रचलित एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में नियमित रूप से आय–व्ययक का प्रावधान लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों में किया जाता रहेगा।"

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।

No. 213/Vidhayee & Sansadiya Karya/2004

Dated Dehradun, August 05, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal Tourism Development Board Act, 2001 (Amendment) Bill, 2004 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 09 of 2004).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on August 04, 2004.

THE UTTARANCHAL TOURISM DEVELOPMENT BOARD ACT, 2001 (AMENDMENT) ACT, 2004

(UTTARANCHAL ACT NO. 09 OF THE YEAR 2004)

To further amend The Uttaranchal Tourism Development Board Act, 2001

AN

ACT

Enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth year of Republic of India as follows :–

1. (1) This act may be called The Uttaranchal Tourism Development Board Act, 2001 (Amendment) Act, 2004. — Short title, Commencement & Extent
   (2) It will come into force with immediate effect.
   (3) It shall extend to the whole of Uttaranchal.

2. Sub-section (10) & (11) shall be added after section 2 of the Principal Act, as follows :– — Addition of sub-section (10) & (11) after sub-section (9) of section 2 of the Principal Act
   (10) "Director General Tourism" means the contemporary Head of the Department of Tourism Directorate.
   (11) "Government Servant" means the Government servants working under the Directorate of Tourism at that time.

3. The words "/Ex-officio Director General Tourism" shall be added after "Ex-officio Chief Executive Officer" in clause (c) of sub-section (4) of section 3 of the Principal Act. — Amendment of Clause (c) of sub-section (4) of section 3 of the Principal Act

4. A new clause (c) shall be added after clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Principal Act, as follows :– — Addition of a new Clause (c) after sub-section (3) (b) of section 9 of the Principal Act
   (c) "Ex-officio Chief Executive Officer/Ex-officio Director General Tourism" shall also function as Head of the Department for the execution of service matters of all the Government servants working in the Directorate of Tourism at that time.

Substitution of sub-section (2) of section 11 of the Principal Act

5. Sub-section (2) of section 11 of the Principal Act shall be substituted as follows :–

(2) All the Government servants working in the Directorate of Tourism at that time shall continue to remain Government servants as such, and their services shall be governed by the existing service rules. Their pay etc. shall be disbursed through Government Treasuries under the specified standard heads as applicable to other Government servants under the integrated pay disbursement system. They shall also be entitled to all other allowances and benefits admissible to the State Government servants from time to time and the post retirement benefits i.e. pension, gratuity, group insurance scheme, leave encashment etc. shall continue be borne by the Government.

Addition of a new sub-section (4) after sub-section (3) of section 11 of the Principal Act

6. A new sub-section (4) shall be added after sub-section (3) of section 11 of the Principal Act, as follows :--

(4) All the officers and employees presently serving in the Tourism Department as Government servants shall be given opportunity to exercise their option for absorption in the Uttaranchal Tourism Development Board.

A separate organizational structure shall be created as per requirement on the basis of existing posts for all those employees who do not opt for absorption in the Board. The Government servants shall also have the option to join the posts in the Board on deputation, but no deputation allowance will be admissible to them during the period of deputation.

Addition of a new sentence after sub-section (4) of section 13 of the Principal Act

7. Addition of sentence after sub-section (4) of section 13 of the Principal Act :–

"And for the payment of salary etc. to the then Government servants of the Tourism Department regular budgetary provision shall continue to be made by the Government in suitable standard heads under non-plan head to enable these Government servants to draw their regular salary through integrated pay disbursement system prevalent in the Government Treasuries."

By order,

U.C. DHYANI,
Secretary.

पी0एस0यू0(आर0ई0) 24 विधायी/326–2004–78+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।